

राजस्थान वित्त विधेयक, 2016

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 और राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005, को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2016 है।
2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.-** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 5, 18, 23 और 24 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (7) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (8) के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, विनिर्माण में उपयोग में लिये जाने के लिए विद्युतीय ऊर्जा के उत्पादन हेतु जनरेटिंग सेट को पूंजीगत माल के रूप में माना जायेगा।"

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 13 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 13 की विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) जहां कोई व्यवहारी, रजिस्ट्रीकरण मंजूर किये जाने के पश्चात्, अपने कारबार का मुख्य स्थान वर्तमान निर्धारण प्राधिकारी की प्रादेशिक अधिकारिता से बाहर परिवर्तित करे वहां वह निर्धारण प्राधिकारी के ऐसे परिवर्तन के लिए आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी से विहित रीति से अनुज्ञा प्राप्त करने की मांग करेगा और जब तक ऐसी अनुज्ञा मंजूर नहीं की जाती तब तक वर्तमान निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यवहारी का निर्धारण प्राधिकारी बना रहेगा। जहां निर्धारण प्राधिकारी का परिवर्तन चाहने वाले आवेदन की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर अनुज्ञा की मंजूरी पर विनिश्चय नहीं किया जाता है वहां ऐसी अनुज्ञा मंजूर की हुई समझी जायेगी।"

5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (5) के परन्तुक में,-

(i) विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

- (ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारण 31.07.2016 तक किया जायेगा।"

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 33 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (3) में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) अन्त में आये विद्यमान विराम चिन्ह "|" के स्थान पर विराम चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और
- (iii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष 1 अप्रैल, 2016 को लम्बित आवेदन 30 सितम्बर, 2016 तक, या उसके प्रस्तुत किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर, जो भी पहले हो, निपटाया जायेगा।"

7. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 51क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 51क में विद्यमान अभिव्यक्ति "ब्याज या शास्ति" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ब्याज या शास्ति अथवा विलंब फीस" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 53 में विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (4) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा (3क) अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(3क) जहां किसी व्यवहारी द्वारा कोई रकम गलती से या अधिक निक्षिप्त करा दी गयी है और यह पाया जाता है कि ऐसी रकम संदेय नहीं है या चालान में उल्लिखित कर कालावधि के लिए व्यवहारी द्वारा संदेय रकम से अधिक निक्षिप्त करा दी गयी है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी

अधिकारी, निर्धारण प्राधिकारी को उक्त रकम का प्रतिदाय, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, मंजूर करने के लिए निदेश देगा।"।

अध्याय 3

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 में संशोधन

9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 की विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा (1क) अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1क) प्रत्येक व्यक्ति, जो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रभावित विक्रय या क्रय के अनुसरण में कारबार के अनुक्रम में, चाहे उसके स्वयं के मददे या किसी मालिक या किसी भी अन्य व्यक्ति के मददे, कोई भी माल किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाता है या लाया जाना कारित करता है, या माल का परिदान लेता है या परिदान लेने का हकदार है, माल के कराधेय क्रय मूल्य पर कर संदत्त करने का दायी होगा।"।

10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 11 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) में,-

(i) विद्यमान खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) प्रत्येक पट्टाकर्ता या पट्टेदार, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में माल लाता है या माल लाया जाना कारित करता है; या"

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(v) प्रत्येक व्यक्ति, जो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रभावित विक्रय या क्रय के अनुसरण में कारबार के अनुक्रम में, चाहे उसके स्वयं के मददे या किसी मालिक या किसी भी अन्य व्यक्ति के मददे, कोई भी माल किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाता है या लाया

जाना कारित करता है, या माल का परिदान लेता है या परिदान लेने का हकदार है,

किसी स्थानीय क्षेत्र में लाये गये माल के अपने वार्षिक पण्यावर्त का मूल्य ध्यान में लाये बिना स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवायेगा।"।

11. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 23 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) अपील ऐसी तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर प्रस्तुत की जायेगी जिसको, वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील का किया जाना ईप्सित है, संसूचित किया जाये; किन्तु अपील प्राधिकारी साठ दिवस की उक्त कालावधि के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास उक्त कालावधि के भीतर-भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।"।

अध्याय 4

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 में संशोधन

12. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उप-धारा (1) में विद्यमान खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ज) "विलास-कर अधिकारी" से आयुक्त द्वारा इस रूप में प्राधिकृत ऐसा कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो;"।

13. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 12 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 12 की विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (6) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा (5क) अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(5क) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का दायी कोई होटलवाला, जब उप-धारा (2) के अधीन कोई आवेदन नहीं करता है तो विलास-कर अधिकारी या आयुक्त

द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी, जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो, ऐसे होटलवाले को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उसको उस तारीख से, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने का दायी होता है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर करेगा और ऐसा रजिस्ट्रीकरण इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह उप-धारा (4) के अधीन मंजूर किया गया हो।"।

14. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 26 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 26 में,-

- (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विलास-कर अधिकारी" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी भी होटलवाले" के पूर्व अभिव्यक्ति "या कोई भी अन्य अधिकारी, जिसे आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये," अंतःस्थापित की जायेगी।
- (ii) उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "विलास-कर अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए सभी उपयुक्त समयों पर उपलब्ध रहेगी, और विलास-कर अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए सभी उपयुक्त समयों पर उपलब्ध रहेगी, और ऐसा अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 5

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

15. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 3ख का संशोधन.- राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3ख की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के उद्ग्रहण, संदाय, छूट, ब्याज, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस

अधिनियम के अधीन संदेय विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण, संदाय, छूट, ब्याज, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।"।

16. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 3ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3ग की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के उद्ग्रहण, संदाय, छूट, ब्याज, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण, संदाय, छूट, ब्याज, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।"।

अध्याय 6

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

17. 1999 का राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 3-क का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3-क की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "संनिर्माण या विकास" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के लिए प्राधिकार या अधिकार" के पूर्व अभिव्यक्ति "या विक्रय या अंतरण (चाहे वह किसी भी रीति से हो)," अंतःस्थापित की जायेगी।

18. 1999 का राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 3-ख का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की इस प्रकार संशोधित धारा 3-क के पश्चात् और विद्यमान धारा 4 के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"3-ख. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए अधिभार.- (1) स्थावर सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्र, विनिमय, दान, बंदोबस्त, विभाजन, विक्रय के करार, प्रशमन, बंधक, निर्मोचन, मुख्तारनामे और पट्टे की समस्त लिखतें, और किसी संप्रवर्तक या किसी विकासकर्ता को, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क से प्रभार्य किसी

भी स्थावर सम्पत्ति पर संनिर्माण या उसके विकास, या उसके विक्रय या अंतरण (चाहे वह किसी भी रीति से हो), के लिए प्राधिकार या अधिकार दिये जाने से संबंधित करार या करार का ज्ञापन, ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होगा, जो इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन ऐसी लिखतों पर प्रभार्य शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार धारा 3 के अधीन प्रभार्य किसी शुल्क और धारा 3-क के अधीन प्रभार्य किसी अधिभार के अतिरिक्त होगा।

(3) उप-धारा (1) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के संबंध में लागू होते हैं।

(4) इस धारा के अधीन संगृहीत अधिभार का निश्चयन और उपयोग राज्य में गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।"।

19. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 35 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "और ऐसी रकम को (जो दो सौ रुपये से अनधिक और पचास रुपये से अन्यून हो) फीस, जैसा कलक्टर प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करे, दे देता है," के स्थान पर अभिव्यक्ति "और पांच सौ रुपये की फीस दे देता है," प्रतिस्थापित की जायेगी।

20. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 52 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 52 में विद्यमान अभिव्यक्ति "नब्बे दिन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

21. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 52-ख का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 52-क के पश्चात् और विद्यमान धारा 53 के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"52-ख. महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा पुनरीक्षण.- (1) महानिरीक्षक स्टाम्प, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, इस अधिनियम के अध्याय 3, 4 और 5 के अधीन किसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और यदि उसका यह विचार हो कि कलक्टर द्वारा उसमें पारित कोई भी आदेश या तो गलत है या राज्य राजस्व के हित के प्रतिकूल है तो वह ऐसी जांच करने या कराने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, और संबंधित पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा या ऐसा निदेश जारी कर सकेगा, जो वह मामले की परिस्थितियों के अधीन उचित समझे।

(2) पुनरीक्षित किये जाने के लिए ईप्सित आदेश के पारित किये जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आदेश या निदेश पारित या जारी नहीं किया जायेगा।"

22. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 65 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 65 में,

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "कलक्टर", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "महानिरीक्षक स्टाम्प या कलक्टर" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) उप-धारा (1) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (iii) उप-धारा (1) के पूर्वोक्त रूप से संशोधित परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित नया परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु महानिरीक्षक स्टाम्प या महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा विशिष्टतया या सामान्यतया प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, यदि इस उप-धारा में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से 180 दिवस के भीतर-भीतर मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण फाइल कर सकेगा।"

23. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,

- (i) अनुच्छेद 1 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दो रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) अनुच्छेद 2 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये से अधिक न होते हुए, बंधपत्र के मूल्य के प्रत्येक सौ रुपये या उसके भाग के लिए दस रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बंधपत्र के मूल्य का दो प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iii) अनुच्छेद 3 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iv) अनुच्छेद 4 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (v) अनुच्छेद 5 के खण्ड (छ) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (vi) विद्यमान अनुच्छेद 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"17. **विक्रय प्रमाण-पत्र** (ऐसी वही शुल्क जो क्रय-धन की प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में जो रकम के बराबर प्रतिफल वाले अलग लाट में नीलाम कर चढ़ाई हस्तान्तरण पत्र (सं. 21) या गयी है और बेची गयी है) जो सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो किसी सिविल या राजस्व भी अधिक हो, पर लगता है।"; न्यायालय, या कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी या लोक नीलाम द्वारा सम्पत्ति विक्रय करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किसी अन्य

अधिकारी द्वारा लोक नीलाम द्वारा
बेची गयी किसी सम्पत्ति के क्रेता
को मंजूर किया गया है।

- (vii) अनुच्छेद 18 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "अंकित मूल्य" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बाजार मूल्य" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (viii) अनुच्छेद 21 में, खण्ड (iii) के सामने स्तम्भ सं. 2 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के
अध्यधीन रहते हुए-

- (i) ऐसे समामेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के बदले में या अन्यथा जारी या आबंटित या रद्द किये गये शेयर के बाजार मूल्य या ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य, जो भी अधिक हो, में समाविष्ट कुल रकम और संदत्त प्रतिफल की रकम, यदि कोई हो, के चार प्रतिशत के बराबर कोई रकम, या
- (ii) अंतरक कंपनी की राजस्थान राज्य में स्थित स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के चार प्रतिशत के बराबर कोई रकम,

जो भी अधिक हो।";

- (ix) अनुच्छेद 22 के खण्ड (ii) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (x) अनुच्छेद 23 के खण्ड (ख) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xi) विद्यमान अनुच्छेद 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"24. ऐसी लिखत, जो शुल्क से प्रभार्य हो और पांच सौ रुपये।"; जिसके संबंध में समुचित शुल्क संदत्त कर दिया गया हो, में लिपिकीय भूलों को सुधारने के लिए या ऐसे संशोधन, जो किसी भी सम्पत्ति में हित के अंतरण की कोटि में नहीं आते हैं, करने के लिए, **अनुपूरक लिखत।**

- (xii) अनुच्छेद 33-क में विद्यमान अभिव्यक्ति "कालावधि, जिसके लिए ऐसी इजाजत और अनुज्ञप्ति करार निष्पादित किया गया है, को विचार में लिये बिना, संदेय या परिदेय संपूर्ण रकम पर और जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन की कुल रकम पर प्रति सौ रुपये या उसके भाग पर एक रूपया।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वही शुल्क जो पट्टा (सं. 33) पर लगता है।" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xiii) अनुच्छेद 35 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xiv) विद्यमान अनुच्छेद 35-क के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 36 के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"35-ख. सीमित दायित्व भागीदारी

(सीदाभा).- (1) सीमित दायित्व भागीदारी के गठन की लिखत-

- (क) जहां भागीदारी में कोई शेयर अंशदान नहीं है या जहां नकद के रूप में किया गया ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अनधिक है दो हजार रुपये।
- (ख) प्रत्येक पचास हजार रुपये या उसके भाग के लिए, जहां नकद के रूप में किया गया ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अधिक है अधिकतम दस हजार रुपये के शुल्क के अध्यक्षीन रहते हुए, दो हजार रुपये।
- (ग) जहां ऐसा शेयर अंशदान स्थावर संपत्ति के रूप में किया गया है वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है।

(2) फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन की लिखत-

- (क) जहां संपरिवर्तन पर स्थावर संपत्ति सीमित दायित्व भागीदारी में निहित हो स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य पर दो प्रतिशत।
- (ख) किसी अन्य मामले में पांच हजार रुपये।
- (3) सीमित दायित्व भागीदारी का पुनर्गठन या समामेलन प्रतिफल पर या राजस्थान राज्य के भीतर स्थित अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी की स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर, जो भी अधिक हो,

चार प्रतिशत।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन या विघटन,-

(क) जहां भागीदारी के विघटन पर कोई न्यूनतम एक सौ रुपये स्थावर सम्पत्ति ऐसे भागीदार, जो उस सम्पत्ति को सीमित दायित्व भागीदारी के अध्यक्षीन रहते हुए, वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य में उसके अंशदान के शेयर के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार पर हस्तांतरण-पत्र (सं. 21) पर लगता है। द्वारा उसके शेयर के रूप में रख ली जाती है

(ख) किसी अन्य मामले में पांच सौ रुपये।";

(xv) अनुच्छेद 43 में,-

(क) खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (1) के उप-खण्ड (ख) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये के अधिकतम शुल्क के अध्यक्षीन, पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये के अधिकतम शुल्क के अध्यक्षीन रहते हुए, दो हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xvi) अनुच्छेद 48 के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) यदि किसी पैतृक सम्पत्ति या उसके किसी त्यागे गये शेयर, भाग का निर्मुक्ति विलेख, भाई या बहिन हित, भाग या दावे

(त्यागने वाले के माता-पिता के बच्चे) या के बाजार मूल्य के पुत्र या पुत्री या पूर्वमृत पुत्र का पुत्र या बराबर रकम का पूर्वमृत पुत्र की पुत्री या पिता या माता या 1.5 प्रतिशत।"; त्यागने वाले की पत्नी या पति के द्वारा या और उनके पक्ष में निष्पादित किया जाये।

(xvii) विद्यमान अनुच्छेद 58 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"58. **संकर्म संविदा** अर्थात् उसके निष्पादन में अधिकतम पंद्रह माल में की सम्पत्ति के (चाहे वह माल के हजार रुपये के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) अन्तरण अध्यधीन रहते हुए, को अंतर्वलित करने वाले संकर्म और ऐसी संविदा में मजदूरी या सेवाओं की कोई संविदा और रखी गयी रकम या उसमें उप-संविदा भी सम्मिलित है। मूल्य का 0.25 प्रतिशत।"

अध्याय 7

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

24. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-घ का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-घ की सारणी में क्रम सं. 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

| | | | | |
|---|----|---|--|------|
| " | 2. | परिवहन यान | | 2000 |
| | | (क) दुपहिया यात्री यान/ तिपहिया यात्री और माल यान | | |
| | | (ख) तिपहिया यात्री और माल यान से भिन्न यान | | |
| | | (i) हल्के मोटर यान | | |

| | | | |
|--|---|---|-------|
| | (क) यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष या कम हो | मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और | 5000 |
| | (ख) यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक हो | तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 56 के अधीन सही हालत में होने के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के समय | 8000 |
| | (ii) हल्के मोटर यान से भिन्न यान | | |
| | (क) यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष या कम हो | | 6000 |
| | (ख) यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक हो | | 10000 |

"।

अध्याय 8

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में संशोधन

25. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 में,-

- (i) विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अपने कुल बकाया ऋण को सकल राज्य देशी उत्पाद के क्रमशः 36.5, 36.5, 35.5, 35.0 और 34.0 प्रतिशत तक सीमित करेगी;"

(ii) खण्ड (ड) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (ड) के पश्चात् और विद्यमान प्रथम परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(च) यह सुनिश्चित करेगी कि 31.03.2017 को कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की संचित निधि में प्राक्कलित प्राप्तियों के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और तत्पश्चात्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति उस वित्तीय वर्ष में राज्य की संचित निधि में प्राक्कलित प्राप्तियों के साथ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:"; और

(iii) प्रथम परन्तुक के खण्ड (ग) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ";" के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी और इस प्रकार संशोधित उक्त खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(घ) भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 06/02/2015-एनईएफ/एफआरपी दिनांक 20 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रख्यापित उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना के अधीन ऊर्जा वितरण कम्पनियों के उधारों को टेकओवर करने और उन पर ब्याज के कारण,"।

26. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6क की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 1 अप्रैल, 2015 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(2) किसी भी वर्ष में राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियां, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 17.5 प्रतिशत से अधिक हों, और कोई भी अन्य राजस्व प्राप्तियां, जो राज्य सरकार उचित समझे, यदि राज्य विधान-मण्डल इस निमित्त विधि द्वारा विनियोग का उपबंध करे तो आगामी वर्ष में निधि में जमा की जायेंगी।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 का खण्ड (7) पूंजीगत माल को परिभाषित करता है। वर्तमान में, पूंजीगत माल की परिभाषा में जनरेटिंग सेट के सम्मिलित होने के संबंध में संदेह है। इस स्थिति को स्पष्ट करने की दृष्टि से, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खण्ड (7) में एक स्पष्टीकरण के अंतःस्थापन द्वारा संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3), वर्तमान निर्धारण प्राधिकारी की प्रादेशिक अधिकारिता के बाहर कारबार के मुख्य स्थान के परिवर्तन की अनुज्ञा की मंजूरी के लिए समय-सीमा का उपबंध करती है। वर्तमान में, यह समय-सीमा साठ दिवस है, इस समय-सीमा को कम करने की दृष्टि से, धारा 13 की उप-धारा (3) में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (5) उपबंधित करती है कि निर्धारण, सुसंगत वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर-भीतर किया जाना चाहिए। निर्धारण वर्ष 2013-14 से ऑनलाइन निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है। निर्धारण प्रक्रिया में इस परिवर्तन के कारण, वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारण माह अगस्त, 2015 में प्रारंभ हुए थे, इसलिए, निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए समय-सीमा को 31.07.2016 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (3) परिशुद्धि के लिए आवेदन के निपटारे के लिए समय-सीमा उपबंधित करती है। ऐसे आवेदनों के शीघ्र निपटारे को ध्यान में रखते हुए, इस समय-सीमा को एक वर्ष से कम करके छह मास किये जाने के लिए धारा 33 की उप-धारा (3) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 51क राज्य सरकार को कतिपय मामलों में शास्ति और ब्याज अधित्यक्त करने के लिए सशक्त करती है। वर्ष 2011-12 में विवरणी फाइल करने में विलंब के लिए विलंब फीस के उपबंध किये गये थे। व्यवहारियों के लिए उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत विवरणी की प्राप्ति रसीद की हार्ड कॉपी फाइल करना

अपेक्षित होता था। कई मामलों में, हार्डकॉपी फाइल नहीं की गयी या विलंब से फाइल की गयी जिसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यवहारियों पर विलंब फीस अधिरोपित की गयी। राज्य के ऐसे व्यवहारियों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से धारा 51क में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ताकि कतिपय मामलों में विलम्ब फीस अधित्यक्त करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया जा सके।

अधिनियम की धारा 53 व्यवहारी को कोई रकम प्रतिदेय होने की दशा में प्रतिदाय के उपबंध उपबंधित करती है। कभी-कभी ई-ग्रास के माध्यम से कर का ऑनलाइन संदाय करते समय अधिक संदाय या गलत संदाय कर दिया जाता है। वर्तमान में, यह रकम केवल निर्धारण के समय ही प्रतिदेय होती है, जिसके कारण व्यवहारियों को नकदी की समस्या होती है। ऐसे मामलों में राहत प्रदान करने की दृष्टि से धारा 53 में एक नयी उप-धारा (3क) अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999

हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से माल के ऑनलाइन विक्रय या क्रय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से क्रय किये गये माल पर प्रवेश कर के उद्ग्रहण और संग्रहण को दृष्टि में रखते हुए, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 4 में एक नई उप-धारा (1क) और धारा 11 की उप-धारा (2) में नया खण्ड (v) अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में, उक्त अधिनियम के अधीन अपील पृथक् रूप से फाइल की जाती है। राज्य के व्यवहारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अधीन फाइल की जाने वाली अपीलों के लिए एक समान प्ररूप प्रस्तावित किया गया है। अपील फाइल करने की समय-सीमा में एकरूपता रखने के लिए इस अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 की धारा 2 का खण्ड (ज) विलास-कर अधिकारी की परिभाषा उपबंधित करता है। वर्तमान में, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी विलास-कर अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए

प्राधिकृत नहीं हैं। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, निर्धारण प्राधिकारी हैं। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के समान सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को सशक्त करने के लिए इस अधिनियम की धारा 2 में खण्ड (अ) को प्रतिस्थापन द्वारा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 12 होटलवाले के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करती है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के उपबंधों से एकरूपता रखने के लिए धारा 12 में एक नयी उप-धारा (5क) अंतःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

इसी प्रकार, इस अधिनियम और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन निरीक्षण की प्रक्रिया में एकरूपता रखने के लिए इस अधिनियम की धारा 26 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 की धारा 3ख की उप-धारा (2) जल संरक्षण उपकर के उद्ग्रहण, संदाय, ब्याज, संगणना और वसूली की रीति का उपबंध करती है किन्तु यह छूट के लिए उपबंध नहीं करती है। जल संरक्षण उपकर के संदाय से छूट उपबंधित करने के लिए, इस उप-धारा को इसके प्रतिस्थापन द्वारा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) नगरीय उपकर के उद्ग्रहण, संदाय, ब्याज, संगणना और वसूली की रीति का उपबंध करती है किन्तु यह छूट के लिए उपबंध नहीं करती है। नगरीय उपकर के संदाय से छूट उपबंधित करने के लिए, इस उप-धारा को इसके प्रतिस्थापन द्वारा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में संशोधन के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 3-क की उप-धारा (1) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में, गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए उपबंध करने की दृष्टि से इस अधिनियम में एक नयी धारा 3-ख जोड़कर स्टाम्प शुल्क पर अधिभार उद्गृहीत किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित अधिभार, इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

वर्तमान में, धारा 35 के अधीन न्यायनिर्णयन फीस पचास से दो सौ रुपये है जो प्रत्येक मामले में कलक्टर विनिश्चित कर सकता है। प्रत्येक मामले में न्यायनिर्णयन फीस पांच सौ रुपये नियत करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 35 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

कलक्टर के आदेश की परिशुद्धि के लिए विहित समय-सीमा को नब्बे दिवस से बढ़ाकर दो वर्ष करने के लिए, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 52 को, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

कलक्टर के ऐसे आदेशों की, जो गलत हैं या राज्य राजस्व के हित के प्रतिकूल हैं, पुनःपरीक्षा करके स्टाम्प शुल्क को पुनःनिर्धारित करने के लिए महानिरीक्षक स्टाम्प को सशक्त करने हेतु एक नयी धारा 52-ख को अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा कलक्टर के ऐसे आदेशों की पुनःपरीक्षा नहीं की जायेगी जो 5 वर्ष से अधिक पुराने हैं। धारा 52-ख के अंतःस्थापन के कारण धारा 65 में भी पारिणामिक संशोधन प्रस्तावित हैं।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 65 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से पुनरीक्षण फाइल करने की समय-सीमा को ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिवस से बढ़ाकर ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से एक सौ अस्सी दिवस करने के लिए उक्त धारा को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

किसी ऋण अभिस्वीकृति की लिखत पर स्टाम्प शुल्क दो रुपये से बढ़ाकर दस रुपये किये जाने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 1 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रशासन-बंधपत्र पर स्टाम्प शुल्क उसके मूल्य पर, अधिकतम एक सौ रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक सौ रुपये या उसके भाग के लिए दस रुपये को पुनरीक्षित कर

ऐसे बंधपत्र के मूल्य का दो प्रतिशत करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 2 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

दत्तक विलेख पर स्टाम्प शुल्क तीन सौ रुपये को पुनरीक्षित कर एक हजार रुपये करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 3 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

शपथ-पत्र पर स्टाम्प शुल्क बीस रुपये से बढ़ाकर पचास रुपये करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 4 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

किसी विशिष्ट प्रवर्ग के अधीन नहीं आने वाले करार या करार के ज्ञापन पर स्टाम्प शुल्क को एक सौ रुपये से बढ़ाकर पांच सौ रुपये करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (छ) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में, किसी सिविल या राजस्व न्यायालय, कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा लोक नीलाम द्वारा बेची गयी किसी सम्पत्ति के संबंध में मंजूर किये गये विक्रय प्रमाण-पत्र, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 17 के अधीन क्रय-धन की रकम पर स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है। विभिन्न राज्य और केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन विभिन्न अन्य प्राधिकारी भी लोक नीलाम द्वारा संपत्ति का विक्रय करने के लिए सशक्त हैं। इसलिए, प्रत्येक विक्रय प्रमाण-पत्र को स्टाम्प शुल्क की परिधि में लाने के लिए और संपत्ति के क्रय-धन की रकम या बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित करने के लिए भी अनुच्छेद 17 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

शेयरों, स्ट्रिप या स्टाक के अंकित मूल्य के बजाय ऐसे शेयरों, स्ट्रिप या स्टाक के बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 18 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

अनुच्छेद 21 के अधीन समामेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के आदेशों पर स्टाम्प शुल्क की दरों को, अन्य राज्यों में प्रभारित किये जा रहे स्टाम्प शुल्क की तर्ज पर किये जाने की आवश्यकता है। इसलिए, समामेलन या डीमर्जर या पुनर्गठन के आदेशों पर

स्टाम्प शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाने और संगणना की पद्धति को परिवर्तित करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

किसी प्रति या उद्धरण पर, जहां मूल पाठ एक रुपये से अधिक के शुल्क से प्रभार्य है, स्टाम्प शुल्क पांच रुपये से बढ़ाकर एक सौ रुपये करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 22 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

लिखतों के प्रतिलेख या दूसरी प्रति पर, जहां मूल लिखत तीन रुपये से अधिक के शुल्क से प्रभार्य है, स्टाम्प शुल्क दस रुपये से बढ़ाकर एक सौ रुपये करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 23 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची का अनुच्छेद 24 का वर्तमान उपबंध शुल्क से प्रभार्य किसी लिखत में लिपिकीय भूलों को सुधारने के लिए निष्पादित अनुपूरक लिखतों पर स्टाम्प शुल्क उपबंधित करता है। ऐसे संशोधन, जो किसी संपत्ति में हित के अंतरण की कोटि में नहीं आते हों, करने के लिए निष्पादित अनुपूरक लिखतों को भी सम्मिलित करने के लिए, और स्टाम्प शुल्क एक सौ रुपये से बढ़ाकर पांच सौ रुपये किये जाने के लिए अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 24 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

इजाजत और अनुज्ञप्ति करार की लिखतें, सामान्यतया पट्टा विलेखों के विकल्प के रूप में निष्पादित की जा रही हैं। इसलिए, इजाजत और अनुज्ञप्ति की लिखतों पर पट्टा विलेखों के समान स्टाम्प शुल्क उपबंधित करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 33-क को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

अनुज्ञप्ति-पत्र पर स्टाम्प शुल्क एक सौ रुपये से बढ़ाकर दो सौ रुपये करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 35 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

सीमित दायित्व भागीदारी के गठन, पुनर्गठन या समामेलन, परिसमापन या विघटन और भागीदारी फर्मों या कम्पनियों के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन से संबंधित लिखतों पर स्टाम्प शुल्क उपबंधित करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में एक नया अनुच्छेद 35-ख अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

भागीदारी की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दर को युक्तिसंगत बनाने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 43 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

स्टाम्प शुल्क को कुटुम्ब बंदोबस्त और पैतृक संपत्ति के विभाजन के दस्तावेजों के समान युक्तिसंगत बनाने और साथ ही साथ कुटुम्ब के सदस्यों को पुनः परिभाषित करने के लिए, ताकि संबंधियों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जा सके, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 48 के खण्ड (क) को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 58 के अधीन संकर्म संविदा पर दस लाख रुपये तक, दस लाख से पचास लाख रुपये और पचास लाख रुपये से अधिक के मूल्य के उनके वर्गीकरण के अनुसार स्टाम्प शुल्क की नियत रकम प्रभारित की जाती है। ऐसी संविदा में रखी गयी रकम या मूल्य पर पंद्रह हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, 0.25 प्रतिशत की दर पर मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क का उपबंध करने के लिए अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 58 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-घ के अधीन ग्रीन कर (उपकर) के अधिरोपण का उपबंध, गैर-परिवहन और परिवहन यानों पर इस कर के उद्ग्रहण के लिए सशक्त करता है। गैर-परिवहन यानों के मामलों में, यह यान के रजिस्ट्रीकरण, नये रजिस्ट्रीकरण चिह्न के समनुदेशन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के समय प्रभारित किया जाता है। परिवहन यानों पर ग्रीन कर रजिस्ट्रीकरण, नये रजिस्ट्रीकरण चिह्न के समनुदेशन और सही हालत में होने के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के समय उद्ग्रहीत किया जाता है। यह धारा यानों के ईंधन आधारित और इंजन क्षमता

आधारित प्रवर्गों को भी नियत करती है जिसमें दरों के विभेद को उपबंधित किया गया है। ग्रीन कर का अधिरोपण जहां एक तरफ प्रदूषणकारी यानों को हतोत्साहित करते हुए उत्सर्जन स्तरों को कम करने में सहायता करता है, और वहीं दूसरी तरफ परिवहन अवसंरचना के विकास और रख-रखाव के स्रोतों में वृद्धि करता है। यह देखा गया है कि परिवहन यान पर्यावरण के प्रति अधिक नुकसानदायी होते हैं और प्रदूषण उत्सर्जन की संभावना उनके उपयोग और समय के साथ बढ़ती है। इसलिए, अधिक पुराने यानों पर अधिक ग्रीन कर उद्गृहीत करना समुचित समझा गया है। इसलिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, ग्रीन कर के अधिरोपण के प्रयोजन के लिए परिवहन यानों को उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से उनकी आयु के आधार पर और प्रवर्गीकृत करना प्रस्तावित है। तदनुसार, धारा 4-घ को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 राज्य सरकार को समयबद्ध लक्ष्यों सहित राजवित्तीय समेकन का जिम्मा लेकर राज्य-वित्त का राजवित्तीय उत्तरदायी रीति से प्रबंध करने के प्रयोजनार्थ अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में 2014-15 के पश्चात् बकाया ऋण की सीमा विहित नहीं है। इसलिए, अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (ग) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार, वर्तमान में बकाया सरकारी प्रत्याभूति की कानूनी सीमा विहित नहीं है। बकाया सरकारी प्रत्याभूति की सीमा विहित करने के लिए इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन एक नया खण्ड (च) अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 06/02/2015-एनईएफ/एफआरपी दिनांक 20 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रख्यापित उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (UDAY) के अधीन डिस्कॉम के उधारों को टेकओवर करने के कारण राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार राजस्व घाटे और राजवित्तीय घाटे के लक्ष्य की पूर्ति करने में असमर्थ है। इसलिए, इस अधिनियम की धारा 6 के प्रथम परन्तुक में एक नया खण्ड (घ) जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

"सामान्य से अधिक राजस्व बढ़ोतरी" वाले वर्षों में राज्य राजस्व के भाग को अलग रखने और ऐसे संचय का उस वर्ष की समानीकरण निधि में उपयोग करने की

दृष्टि से इस अधिनियम में एक संशोधन के द्वारा वर्ष 2014 में "राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि" के नाम से एक निधि सृजित की गयी थी। इस निधि में, किसी भी वर्ष में राज्य की कर प्राप्तियां, जिनमें स्वयं के कर और केन्द्रीय करों में हिस्सा समाविष्ट है, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 17.5 प्रतिशत से अधिक हों, और कोई भी अन्य राजस्व प्राप्तियां, समाविष्ट हैं। 14वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया था। इसलिए, किसी भी वर्ष में राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियां, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 17.5 प्रतिशत से अधिक हों, आगामी वर्ष में निधि में जमा किये जाने के लिए अधिनियम की धारा 6क के खण्ड (2) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। यह संशोधन 01.04.2015 से भूतलक्षी प्रभाव से किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें 01.04.2015 से प्रभावी हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

**वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।**

**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अन्तर्गत माननीय
राज्यपाल महोदय की सिफारिश**

[सं.प.12(11)वित्त/कर/2016 दिनांक 08.03.2016

**प्रेषक: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान
सभा, जयपुर]**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक 2016 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 26, जो राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में धारा 6क की उप-धारा (2) को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को, किसी भी वर्ष में राज्य की स्वयं की ऐसी कर प्राप्तियों को, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 17.5 प्रतिशत से अधिक हों और राज्य विधान-मण्डल द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् किन्हीं भी अन्य राजस्व प्राप्तियों को राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि में जमा करने के लिए, प्राधिकृत करेगा।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 13 की उप-धारा (3) को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को, इस धारा के अधीन जारी की जाने वाली अनुज्ञा की रीति विहित करने के लिए, सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 8, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 53 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को, कोई रकम गलत या अधिक निक्षिप्त किये जाने के मामले में प्रतिदाय की मंजूरी की रीति विहित करने के लिए, सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

**वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।**

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) से (6) XX

XX

XX

(7) "पूँजीगत माल" से विनिर्माण में उपयोग के लिए अभिप्रेत संयंत्र और मशीनरी, जिसके अन्तर्गत उसके पुर्जे और उपसाधन हैं, अभिप्रेत है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में समय-समय पर अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाये;

(8) से (45)

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

13. रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी.- (1) से (2) XX XX

(3) जहां कोई व्यवहारी, रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर दिये जाने के पश्चात्, अपना कारबार का मुख्य स्थान वर्तमान निर्धारण प्राधिकारी की प्रादेशिक अधिकारिता के बाहर परिवर्तित करे वहां वह निर्धारण प्राधिकारी के ऐसे परिवर्तन के लिए आयुक्त या आयुक्त के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी से लिखित अनुज्ञा प्राप्त करेगा और जब तक ऐसी अनुज्ञा नहीं दे दी जाती वर्तमान निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यवहारी का निर्धारण प्राधिकारी बना रहेगा। जहां निर्धारण प्राधिकारी का परिवर्तन चाहने वाले आवेदन की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर-भीतर अनुज्ञा की मंजूरी पर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो ऐसी अनुज्ञा मंजूर की हुई समझी जायेगी।

XX

XX

XX

XX

24. निर्धारण.- (1) से (4) XX XX XX

(5) इस धारा के अधीन कोई भी निर्धारण आदेश सुसंगत वर्ष के समाप्त होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा। तथापि, आयुक्त, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी विशेष मामले में ऐसी समय-सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा:

परन्तु वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारण 30.06.2015 तक किया जायेगा।

(6) XX XX XX

XX XX XX XX

33. किसी गलती की परिशुद्धि.- (1) से (2) XX XX XX

(3) जहां उप-धारा (1) के अधीन कोई आवेदन निर्धारण प्राधिकारी, को प्रस्तुत किया जाये और उसकी रसीद अभिप्राप्त की जाये, वहां उसका निपटारा प्रस्तुत किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर किया जायेगा और जहां ऐसे आवेदन का निपटारा उक्त कालावधि के भीतर-भीतर नहीं किया जाये वहां वह मंजूर कर लिया गया समझा जायेगा।

(4) से (5) XX XX XX

XX XX XX XX

51क. कतिपय मामलों में शास्ति और ब्याज को अधित्यक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार लोकहित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्याधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, व्यवहारियों के किसी वर्ग के लिए किसी कालावधि के लिए संदेय ब्याज या शास्ति की किसी रकम को कम या अधित्यक्त कर सकेगी।

XX XX XX XX

2. राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

11. व्यवहारियों का रजिस्ट्रीकरण.- (1) XX XX XX

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(i) किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले माल का उपयोग या उपभोग अंतर्वलित करने वाली संकर्म-संविदा का निष्पादन करने वाला प्रत्येक व्यवहारी; या

(ii) किसी स्थानीय क्षेत्र का साधारणतः अनिवासी प्रत्येक व्यवहारी; या

- (iii) ऐसे माल का, जो विनिर्दिष्ट किया जाये, अनन्य रूप से संव्यवहार करने वाले किसी व्यवहारी से भिन्न किसी स्थानीय क्षेत्र की साधारणतः अनिवासी किसी व्यवहारी का प्रत्येक प्रबन्धक या अभिकर्ता; या
- (iv) प्रत्येक पट्टाकर्ता या पट्टेदार, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में माल लाता है या माल लाया जाना कारित करता है, किसी स्थानीय क्षेत्र में लाये गये माल के अपने वार्षिक पण्यावर्त का मूल्य ध्यान में लाये बिना स्वयं को रजिस्ट्रकृत करवायेगा;

XX XX XX XX

23. अपील.- (1) XX XX XX

(2) निम्नलिखित के संबंध में अपील तीस दिन के भीतर-भीतर की जायेगी:-

- (i) निर्धारण के आदेश के संबंध में, उस तारीख से जिसको अपीलार्थी को निर्धारण का नोटिस तामील किया गया था; और
- (ii) किसी भी अन्य आदेश के संबंध में, उस तारीख से, जिसको अपीलार्थी को वह आदेश संसूचित किया गया था:

परन्तु अपील प्राधिकारी उपर्युक्त तीस दिन की कालावधि के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलार्थी के पास उक्त कालावधि के भीतर-भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

(3) से (5) XX XX XX

XX XX XX XX

**3. राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990
(1996 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण**

XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) से (झ) XX XX XX

(ज) "विलास कर अधिकारी" से राज्य सरकार के द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में नियुक्त या पदस्थापित किये गये सहायक आयुक्त या वाणिज्यिक कर अधिकारी (अपवंचन-निरोध) समेत सहायक आयुक्त या वाणिज्यिक कर अधिकारी अभिप्रेत है।

(ट) से (फ) XX XX XX

(2) XX XX XX

XX XX XX XX

26. लेखों और दस्तावेजों का पेश किया जाना और निरीक्षण किया जाना तथा परिसर की तलाशी.- (1) विलास-कर अधिकारी किसी भी होटलवाले से यह अपेक्षा कर सकेगा कि होटलवाला उसके कारबार से संबंधित कोई लेखे या दस्तावेज, या कोई भी अन्य जानकारी जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो, उसके समक्ष प्रस्तुत करे।

(2) किसी भी होटलवाले के कारबार से संबंधित समस्त लेखे, रजिस्टर और दस्तावेज तथा किसी भी होटलवाले के कारबार के किसी भी स्थान पर रखी गयी नकदी विलास-कर अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए सभी उपयुक्त समयों पर उपलब्ध रहेगी, और विलास-कर अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त लेखों, रजिस्ट्रों या दस्तावेजों की ऐसी प्रति या उद्धरण और पायी गयी नकदी की ऐसी सूची ले सकेगा या लिवा सकेगा, जो उसे इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रतीत हो।

(3) से (5) XX XX XX

XX XX XX XX

4. राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

3ख. जल संरक्षण उपकर का उद्ग्रहण.- (1) XX XX XX

(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध जहां तक हो सके उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के उद्ग्रहण, संदाय, ब्याज, संगणना और वसूली के

संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण, संदाय, ब्याज, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।

(3) XX XX XX
XX XX XX XX

3ग. नगरीय उपकर का उद्ग्रहण.- (1) XX XX XX

(2) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंध जहां तक हो सके उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के उद्ग्रहण, संदाय, ब्याज, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण, संदाय, ब्याज, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।

(3) XX XX XX XX
XX XX XX XX

5. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धारण

XX XX XX XX

3-क. अधिभार से प्रभार्य कतिपय लिखतें.- (1) स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण-पत्र, विनिमय, दान, बंदोबस्त, विभाजन, विक्रय के करार, प्रशमन, बंधक, निर्मोचन, मुख्तारनामे और पट्टे की समस्त लिखतें और किसी संप्रवर्तक या किसी विकासकर्ता को, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क से प्रभार्य किसी भी स्थावर संपत्ति पर संनिर्माण या विकास के लिए प्राधिकार या अधिकार दिये जाने से संबंधित करार या करार का ज्ञापन, ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होंगे, जो इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन ऐसी लिखतों पर प्रभार्य शुल्क के दस प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा, आधारभूत अवसंरचना प्रसुविधाओं जैसे रेल या सड़क परिवहन प्रणाली, संचार प्रणाली, ऊर्जा वितरण प्रणाली, मलवहन प्रणाली, जल-निकास प्रणाली या राज्य के किसी भी क्षेत्र में काम आने वाली ऐसी अन्य जन-उपयोगिताओं, और नगरपालिकाओं और पंचायतीराज संस्थाओं के वित्तपोषण के लिए, अधिसूचित की जाये।

(2) से (3) XX XX XX
XX XX XX XX

35. समुचित स्टाम्प के बारे में न्यायनिर्णयन.- (1) जब कोई लिखत, चाहे वह निष्पादित हो या न हो और चाहे पहले ही स्टाम्पित हो या न हो, कलक्टर के पास लायी जाती है और उसे लाने वाला व्यक्ति शुल्क के बारे में, यदि कोई हो, जिससे वह प्रभार्य है, उस अधिकारी को राय के लिए आवेदन करता है और ऐसी रकम को (जो दो सौ रुपये से अनधिक और पचास रुपये से अन्यून हो) फीस, जैसा कलक्टर प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करे, दे देता है, तब कलक्टर उस शुल्क को, यदि कोई हो, अवधारित करेगा, जिससे उसके निर्णय में वह लिखत प्रभार्य है।

| | | | | |
|--------|-----|----|----|----|
| (2) से | (3) | XX | XX | XX |
| XX | | XX | XX | XX |

52. भूलों का सुधार.- अभिलेख से प्रकट किसी भी भूल को सुधारने की दृष्टि से कलक्टर, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा दिये गये किसी भी आदेश को, या तो स्वप्रेरणा से या ऐसे आदेश से प्रभावित व्यक्ति के द्वारा भूल को उसके ध्यान में लाये जाने पर आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर-भीतर, संशोधित कर सकेगा:

परन्तु यदि ऐसे किसी संशोधन से किसी व्यक्ति का प्रतिकूलतः प्रभावित होना संभावित है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

| | | | |
|----|----|----|----|
| XX | XX | XX | XX |
|----|----|----|----|

65. मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण.- (1) अधिनियम के अध्याय 4 और 5 तथा धारा 29 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) और धारा 35 के अधीन कलक्टर द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से 90 दिन के भीतर-भीतर ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा:

परन्तु ऐसा पुनरीक्षण आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि वसूलीय राशि के पच्चीस प्रतिशत का संदाय किये जाने का समाधानप्रद सबूत उसके साथ नहीं लगा हुआ हो।

(2) मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से प्राप्त सूचना पर या अन्यथा, कलक्टर द्वारा की गयी किसी कार्यवाही में विनिश्चित

किसी मामले में पारित आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में और कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में समाधान करने के प्रयोजनार्थ किसी मामले का अभिलेख मंगवा सकेगा और परीक्षा कर सकेगा और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश, प्रभावित व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना नहीं दिया जायेगा।

**अनुसूची
(धारा 3 देखिए)**

| लिखतों का वर्णन | उचित स्टाम्प शुल्क |
|---|--|
| 1 | 2 |
| <p>1. अभिस्वीकृति, किसी ऋण की रकम या मूल्य में बीस रुपये से अधिक की जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से किसी बही में (जो बैंककार की पास बुक से भिन्न है) या किसी पृथक् कागज के टुकड़े पर, साक्ष्य निमित्त लिखी जाये या हस्ताक्षरित की जाये, जूकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो:</p> <p>परन्तु यह तब जब कि ऐसी अभिस्वीकृति में उस ऋण के चुकाने का कोई वचन या ब्याज देने का, या किसी माल या संपत्ति का परिदान करने का, अनुबंध अंतर्विष्ट नहीं है।</p> | दो रुपये। |
| <p>2. प्रशासन-बंधपत्र, जिसके अंतर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम सं. 39) की धारा 291, 375 और 376 के, या गवर्नमेन्ट सेविंग्स बैंक एक्ट, 1873 (1873 का अधिनियम सं. 5) की धारा</p> | एक सौ रुपये से अधिक न होते हुए, बंधपत्र के मूल्य के प्रत्येक सौ रुपये या उसके भाग के लिए दस रुपये। |

- 6 के अधीन दिया गया कोई बंधपत्र है।
3. दत्तक विलेख, अर्थात् कोई लिखत (बिल से भिन्न) जो दत्तक-ग्रहण के अभिलेख स्वरूप है या दत्तक-ग्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है। तीन सौ रुपये।
4. शपथ-पत्र, जिसके अंतर्गत, उन व्यक्तियों के मामले में, जो शपथ लेने के बजाय प्रतिज्ञान करने या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात हैं, कोई प्रतिज्ञान या घोषणा है। बीस रुपये।
- छूटें: लिखित रूप में शपथ-पत्र या घोषणा जब कि वह-
- (क) भारतीय सेना या भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए शर्त के रूप में; या
- (ख) किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय में अधिकारी के समक्ष फाइल किये जाने या उपयोग में लाये जाने के तत्काल प्रयोजन के लिए; या
- (ग) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के एक मात्र प्रयोजन के लिए, की गयी है।
5. करार या करार का ज्ञापन-
- (क) से (च) XX XX XX
- (छ) यदि उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है; एक सौ रुपये।
- छूट:
- करार या करार का ज्ञापन,-
- जो अनन्यतः माल या वाणिज्या के

विक्रय के लिए है या उससे संबंधित है और सं. 40 के अधीन प्रभार्य नोट या ज्ञापन नहीं है;

जो सरकार को किन्हीं ऐसी निविदाओं के रूप में किये गये हैं जो किसी उधार के लिए या उससे संबंधित है।

- | | | | |
|------------|--|----|---|
| 6 से 16 | XX | XX | XX |
| 17. | (ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में जो अलग लाट में नीलाम कर चढ़ाई गयी है और बेची गयी है) विक्रय प्रमाण-पत्र जो सेवा नियम द्वारा बेची गयी सम्पत्ति के क्रेता को किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया है। | | वही शुल्क जो केवल क्रय-धन की रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण लेख (सं. 21) पर लगता है। |
| 18. | प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज, जो उसके धारक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी निरमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के या उसके किन्हीं शेयरों, स्ट्रिप या स्टाक संबंधी अधिकार या हक को या किसी ऐसी कम्पनी या निकाय में के या उसके शेयरों, स्ट्रिप या स्टाक का स्वत्वधारी होने संबंधी अधिकार या हक को साक्ष्यित करता है। | | शेयरों, स्ट्रिप या स्टाक के, अंकित मूल्य के, प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके भाग, के लिए एक रूपया। |
| 19 से 20-क | XX | XX | XX |
| 21. | धारा 2 (xi) द्वारा यथा-परिभाषित हस्तान्तरण-पत्र,- (i) से (ii) | XX | XX |
| 21 | (iii) यदि किसी कम्पनी के आमेलन, डीमर्जर (Demerger) या पुनर्गठन के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का | XX | XX |
| | | | अंतरक कम्पनी की सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति के मूल्य से अंतरक कंपनी की राजस्थान |

केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हो।

राज्य में स्थित स्थावर सम्पत्ति के अनुपात के बराबर अंतरक कंपनी के शुद्ध मूल्य के उस भाग पर दो प्रतिशत; लिखत पर अन्यत्र संदत्त स्टाम्प ड्यूटी, यदि कोई हो, के अतिरिक्त।

21.(iv) XX XX XX

22. प्रति या उद्धरण, जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि यह सही प्रति क्या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है,-

(i) XX XX XX

(ii) किसी अन्य मामले में पांच रुपये।

छूटें:

(क) किसी ऐसे कागज-पत्र की प्रतिलिपि जिसके संबंध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षित है कि वह किसी लोक कार्यालय में या किसी लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिए, उसे बनाये या दे।

(ख) जन्मों, बपतिस्मों, नामकरणों, समर्पणों, विवाहों, विवाह विच्छेदों, मृत्युओं या दफन से संबंधित किसी रजिस्टर की, या उसमें के किसी उद्धरण की, प्रतिलिपि।

23. किसी लिखत का, जो कि शुल्क से प्रभार्य है और जिसके संबंध में उचित शुल्क दे दिया गया है,

प्रतिलेख या दूसरी प्रति,-

(क) XX

XX

XX

(ख) किसी अन्य मामले में

दस रुपये।

छूटें

कृषकों को दिये गये किसी पट्टे का प्रतिलेख, जबकि ऐसा पट्टा शुल्क से छूट प्राप्त हो।

24. ऐसी लिखत जो शुल्क से प्रभार्य हो और जिसके संबंध में समुचित शुल्क संदत्त कर दिया गया हो, में लिपिकीय भूलों को सुधारने के लिए अनुपूरक लिखत।

एक सौ रुपये।

25 से 33

XX

XX

XX

33-क. आवासीय सम्पत्ति से भिन्न स्थावर सम्पत्ति से संबंधित **इजाजत और अनुज्ञप्ति करार।**

कालावधि, जिसके लिए ऐसी इजाजत और अनुज्ञप्ति करार निष्पादित किया गया है, को विचार में लिये बिना, संदेय या परिदेय संपूर्ण रकम पर और जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन की कुल रकम पर प्रति सौ रुपये या उसके भाग पर एक रूपया।

34.

XX

XX

XX

35. **अनुज्ञप्ति-पत्र**, अर्थात् ऋणी तथा उसके लेनदारों के बीच इस बात का कोई करार कि लेनदार विनिर्दिष्ट समय के लिए अपने दावों को निलम्बित कर देंगे और ऋणी को स्वयं

एक सौ रुपये।

अपने विवेकानुसार कारबार चलाने देंगे।

36 से 42 XX XX XX

43. भागीदारी.-

(1) भागीदारी की लिखत,-

(क) जहां भागदारी में कोई शेयर अंशदान पांच सौ रुपये।
नहीं है या जहां नकद के रूप में किया
गया ऐसा शेयर अंशदान पचास हजार
रुपये से अनधिक है;

(ख) जहां नकद के रूप में किया गया ऐसा पांच हजार रुपये के
शेयर अंशदान पचास हजार रुपये से अधिकतम शुल्क के अध्यक्षीन
अधिक है, प्रत्येक पचास हजार रुपये रहते हुए, पांच सौ रुपये।
या उसके भाग के लिए;

(ग) XX XX XX

(2) XX XX XX

44 से 47 XX XX XX

48. निर्मुक्ति अर्थात् कोई लिखत जो ऐसी
निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिए धारा 26(2)
द्वारा उपबंध किया गया है जिसके द्वारा
कोई सह-स्वामी, सह-अंशधारी या सहदायिक
अपना हित, एंश, भाग या दावा अन्य
सहस्वामी, सह-अंशधारी या सहदायिक के पक्ष
में त्याग देता है,-

(क) जहां निर्मुक्ति विलेख कुटुम्ब के किसी
सदस्य के द्वारा या पक्ष में निष्पादित
किया गया हो।

पांच सौ रुपये।

स्पष्टीकरण.- "कुटुम्ब के सदस्य" से
पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता,
भाई, बहिन, पूर्वमृत भाई की पत्नी या

संतानें, पूर्वमृत बहिन का पति या
संतानें, पूर्वमृत पुत्र की पत्नी और
पूर्वमृत पुत्र या पूर्वमृत पुत्री की संतानें
अभिप्रेत हैं।

(ख) XX XX XX
49. से 57. XX XX XX

58. संकर्म संविदा अर्थात् उसके निष्पादन में माल
में की सम्पत्ति के (चाहे वह माल के रूप में हो
या किसी अन्य रूप में) अन्तरण को
अंतर्वलित करने वाली संकर्म और मजदूरी या
सेवाओं की कोई संविदा और उसमें उप-संविदा
भी सम्मिलित हैं:-

- (क) जहां ऐसी संविदा में उपवर्णित रकम या पांच सौ रुपये।
मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक न हो।
(ख) जहां वह 10 लाख रुपये से अधिक हो एक हजार रुपये।
किन्तु 50 लाख रुपये से अधिक न हो।
(ग) जहां वह 50 लाख रुपये से अधिक हो। पांच हजार रुपये।

XX XX XX XX

6. राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) से
लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

"4-घ. ग्रीन कर का उद्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम की धारा 4, 4-ख और 4-ग के
अधीन उद्ग्रहीत कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों के
कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट, सड़क पर
उपयोग के लिए उपयुक्त ऐसे यानों पर, स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे समय पर,
इस सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों से अनधिक ऐसी दरों पर, जो
राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जायें, "ग्रीन कर" के नाम से
एक उपकर उद्ग्रहीत और संगृहीत किया जायेगा।

सारणी

| क्र. सं. | यान का वर्ग | समय | उपकर की अधिकतम दर (रुपये में) |
|----------|---|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | गैर-परिवहन यान | | |
| | (क) दुपहिया | मोटर यान अधिनियम, 1988 | 1000 |
| | (ख) डीजल से चालित चार पहियों वाले यान | (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के | |
| | i. 1500 सीसी तक इंजिन क्षमता वाले हल्के मोटर यान | अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर | 5000 |
| | ii. 1500 सीसी से अधिक और 2000 सीसी तक इंजिन क्षमता वाले हल्के मोटर यान | यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 की उप-धारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- | 10000 |
| | iii. 2000 सीसी से अधिक इंजिन क्षमता और पांच सीट क्षमता तक वाले हल्के मोटर यान | पत्र के नवीनीकरण के समय। | 10000 |
| | iv. 2000 सी सी से अधिक इंजिन क्षमता और पांच से अधिक सीट क्षमता वाले हल्के मोटर यान। | | 25000 |
| | (ग) पेट्रोल/तरल पेट्रोल गैस से चालित चार पहियों वाले यान: | | |

| | | | | |
|----|-------------------|---|--|------|
| | I. | 1500 सीसी तक की इंजिन क्षमता वाले हल्के मोटर यान | | 2000 |
| | II. | 1500 सीसी से अधिक और 2000 सीसी तक की इंजिन क्षमता वाले हल्के मोटर यान | | 2500 |
| | III. | 2000 सीसी से अधिक की इंजिन क्षमता और पांच सीट तक क्षमता वाले हल्के मोटर यान | | 3000 |
| | IV. | 2000 सीसी से अधिक की इंजिन क्षमता और पांच से अधिक सीट क्षमता वाले हल्के मोटर यान | | 5000 |
| | (घ) | उपर्युक्त ईंधन चालित चार पहियों वाले यानों से भिन्न यान | | 1000 |
| | (ङ) | अन्य गैर-परिवहन यान | | 2000 |
| 2. | परिवहन यान | मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 56 के अधीन सही | | 2000 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | हालत में होने के प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के समय। | |
|--|--|--|--|

XX

XX

XX

XX

7. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7) से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

XX

6. राजवित्तीय प्रबन्ध के लक्ष्य.- विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार-

(क) से (ख)

XX

XX

XX

(ग) वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए अपने कुल बकाया ऋण को सकल राज्य देशी उत्पाद के क्रमशः 39.3, 38.3, 37.3 और 36.5 प्रतिशत तक सीमित करेगी;

(घ)

XX

XX

XX

(ङ) सरकार, पब्लिक सेक्टर और सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या और सापेक्ष वेतन का ब्यौरा देते हुए बजट के साथ विशेष विवरण लाना सुनिश्चित करेगी:

परन्तु राजस्व घाटा और राजवित्तीय घाटा,-

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा या सूखा सहायता को सम्मिलित करते हुए प्राकृतिक आपदा या राज्य सरकार के नियंत्रण से परे की ऐसी अन्य आपवादिक परिस्थितियों से राज्य सरकार के वित्त पर उत्पन्न होने वाली अकल्पित मांगों के आधार या आधारों के कारण; या

(ख) विकास और अन्य अपरिहार्य व्यय के कारण; या

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उपदर्शित सीमाओं तक, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो सकेगा:

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में उल्लिखित आधारों के कारण होने वाले सीमाओं के आधिक्य को, उक्त आधारों पर व्यय के विस्तृत विवरण सहित, यथासंभव शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष स्पष्ट किया जायेगा।

6क. राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि.- (1) XX XX XX

(2) किसी भी वर्ष में राज्य की कर प्राप्तियां, जिनमें स्वयं के कर और केन्द्रीय करों का हिस्सा समाविष्ट हो, और जो पूर्ववर्ती वर्ष से 17.5 प्रतिशत अधिक हों, और कोई भी अन्य राजस्व प्राप्तियां जो राज्य सरकार उचित समझे, राज्य विधान-मण्डल इस संबंध में यदि विधि द्वारा विनियोग का उपबंध करे तो, आगामी वर्ष में निधि में जमा की जायेगी।

(3) से (4) XX XX XX

XX XX XX XX

(Authorised English Version)

THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2016
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A
Bill

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999, the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990, the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 and the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2016-17 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2016.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 5, 18, 23 and 24 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

**CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003**

3. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- After the existing clause (7) and before the existing clause (8) of section 2 of the Rajasthan

Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“Explanation.- For the purpose of this clause, generating set for generation of electrical energy to be used in manufacturing shall be treated as capital goods.”.

4. Amendment of section 13, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing sub-section (3) of section 13 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(3) Where a dealer, after having been granted registration, changes his principal place of business outside the territorial jurisdiction of the present assessing authority, he shall seek the permission in the prescribed manner for such change of the assessing authority from the Commissioner or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf, and unless such permission is granted, the present assessing authority shall continue to be the assessing authority of such dealer. Where a decision on the grant of permission is not taken within a period of thirty days from the date of the application seeking change of assessing authority, such permission shall be deemed to have been granted.”.

5. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In proviso to sub-section (5) of section 24 of the principal Act,-

- (i) for the existing punctuation mark “.”, the punctuation mark “:” shall be substituted; and
- (ii) after the existing proviso so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided further that the assessment for the year 2013-14 shall be made up to 31.07.2016.”.

6. Amendment of section 33, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In sub-section (3) of section 33 of the principal Act,-

- (i) for the existing expression “within a period of one year”, the expression “within a period of six months” shall be substituted;
- (ii) for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted; and
- (iii) after the sub-section (3), so amended, the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that the application pending before assessing authority on 1st April, 2016 shall be disposed of up to 30th September, 2016 or within one year from the date of presentation thereof, whichever is earlier.”.

7. Amendment of section 51A, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 51A of the principal Act, for the existing expression “interest or penalty”, the expression “interest or penalty or late fee” shall be substituted.

8. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 53 of the principal Act, after the existing sub-section (3) and before the existing sub-section (4), the following new sub-section (3A) shall be inserted, namely:-

“(3A) Where any amount has been deposited wrongly or in excess, by a dealer and it is found that such amount is not payable or has been deposited in excess of the amount payable by the dealer for the tax period mentioned in the challan, the Commissioner or any officer as authorised by the Commissioner in this behalf shall direct the assessing authority to grant refund of the said amount in the manner as prescribed.”.

CHAPTER III

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999

9. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 13 of 1999.- In section 4 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing sub-section (1) and before existing sub-section (2), the following new sub-section (1A) shall be inserted, namely:-

“(1A) Every person who, in the course of business, whether on his own account or on account of a principal or any other person, brings or causes to be brought into a local area, or takes delivery or is entitled to take delivery into a local area of, any goods in pursuance of sale or purchase effected through electronic media shall be liable to pay tax on the taxable purchase value of the goods.”.

10. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. 13 of 1999.- In sub-section (2) of section 11 of the principal Act,-

- (i) in clause (iv), for the existing expression “;”, appearing at the end, the expression “; or” shall be substituted; and
- (ii) after clause (iv), so amended, the following new clause (v) shall be added, namely:-
 - “(v) every person who, in the course of business, whether on his own account or on account of a principal or any other person, brings or causes to be brought into a local area, or takes delivery or is entitled to take delivery into a local area of, any goods in pursuance of sale or purchase effected through electronic media;”.

11. Amendment of section 23, Rajasthan Act No. 13 of 1999.- For the existing sub-section (2) of section 23 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(2) The appeal shall be preferred within sixty days from date on which the order sought to be appealed against is communicated; but the appellate authority may admit an appeal even after the said period of sixty days if it is satisfied that appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the said period.”.

CHAPTER IV

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990

12. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- In sub-section (1) of section 2 of the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing clause (j), the following shall be substituted, namely:-

“(j) “Luxury Tax Officer” means any officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer, authorised as such by the Commissioner;”.

13. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- After the existing sub-section (5) and before the existing sub-section (6) of section 12 of the principal Act, the following new sub-section (5A) shall be inserted, namely:-

“(5A) When a hotelier liable to get registration, does not make application under sub-section (2), the Luxury Tax Officer or any other

officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by Commissioner in this behalf, after affording an opportunity of being heard to such hotelier, shall grant him registration certificate from the date he becomes liable to pay tax under this Act and such registration shall take effect as if it has been granted under sub-section (4).”.

14. Amendment of section 26, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- In section 26 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1), after the existing expression “Luxury Tax Officer” and before the existing expression “may require”, the expression “or any other officer as may be authorised by the Commissioner in this behalf” shall be inserted.
- (ii) in sub-section (2), for the existing expression “by the Luxury Tax Officer, and the Luxury Tax Officer”, the expression “by the officer specified in sub-section (1), and such officer” shall be substituted.

CHAPTER V

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

15. Amendment of section 3B, Rajasthan Act No. 12 of 1962.- For the existing sub-section (2) of section 3B of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(2) The provisions of this Act or the rules made thereunder shall, so far as may be, apply in relation to levy, payment, exemption, interest, computation and recovery of the cess payable under sub-section (1) as they apply to levy, payment, exemption, interest, computation and recovery of electricity duty payable under this Act.”.

16. Amendment of section 3C, Rajasthan Act No. 12 of 1962.- For the existing sub-section (2) of section 3C of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(2) The provisions of this Act or the rules made thereunder shall, so far as may be, apply in relation to levy, payment, exemption, interest, computation and recovery of the cess payable under sub-section (1) as they apply to levy, payment, exemption, interest, computation and recovery of electricity duty payable under this Act.”.

CHAPTER VI

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

17. Amendment of section 3-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-section (1) of section 3-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, after the existing expression "for construction on, or development of," and before the existing expression "any immovable property", the expression "or sale or transfer (in any manner whatsoever) of," shall be inserted.

18. Insertion of section 3-B, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After section 3-A, so amended, and before the existing section 4 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"3-B. Surcharge for conservation and propagation of cow and its progeny.- (1) All instruments of conveyance, exchange, gift, settlement, partition, agreement to sale, composition, mortgage, release, power of attorney and lease of immovable property, and agreement or memorandum of an agreement relating to giving authority or power to a promoter or a developer, by whatever name called, for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property, chargeable with duty under section 3 read with Schedule to the Act, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 10 percent of the duty chargeable on such instruments under section 3 read with Schedule to the Act, as may be notified by the State Government, for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny.

(2) The surcharge chargeable under sub-section (1) shall be in addition to any duty chargeable under section 3 and any surcharge chargeable under section 3-A.

(3) Except as otherwise provided in sub-section (1), provisions of this Act shall so far as may be apply in relation to the surcharge, chargeable under sub-section (1) as they apply in relation to the duty chargeable under section 3.

(4) The surcharge collected under this section shall be earmarked and utilized for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny-in the State."

19. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-section (1) of section 35 of the principal Act, for the existing expression "and pays a fee of such amount (not exceeding two hundred rupees and not less than fifty

rupees) as the Collector may in each case direct," the expression "and pays a fee of five hundred rupees," shall be substituted.

20. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 52 of the principal Act, for the existing expression "ninety days", the expression "two years" shall be substituted.

21. Insertion of section 52-B, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 52-A and before the existing section 53 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"52-B. Revision by the Inspector General of Stamp.- (1) The Inspector General of Stamp may *suo motu* or otherwise, call for and examine the record of any proceeding under Chapter III, IV and V of this Act, and if he considers that any order passed therein by Collector is either erroneous or prejudicial to the interest of the State revenue, he may, after having made or after having caused to be made such enquiry as he considers necessary, and after having given to the party concerned a reasonable opportunity of being heard, pass such order or issue such direction as he deems proper under the circumstances of the case.

(2) No order or direction under sub-section (1) shall be passed or issued by the Inspector General of Stamp after expiry of a period of five years from the date on which the order sought to be revised was passed."

22. Amendment of section 65, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 65 of the principal Act,-

- (i) for the existing expression "Collector" wherever occurring, the expression "Inspector General of Stamp or Collector" shall be substituted;
- (ii) in proviso to sub-section (1), for the existing expression "Provided that", the expression "Provided further that" shall be substituted; and
- (iii) before the proviso to sub-section (1), amended as aforesaid, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the Inspector General of Stamp or any other officer authorised specially or generally by the Inspector General of Stamp may, if aggrieved by any order referred to in this sub-section, may file revision before Chief Controlling Revenue Authority within 180 days from the date of the communication of the order."

23. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

- (i) in Article 1, for the existing expression "Two rupees" appearing under Column No. 2, the expression "Ten rupees" shall be substituted;
- (ii) in Article 2, for the existing expression "Ten rupees for every hundred rupees, or part thereof of the value of the bond subject to a maximum of one hundred rupees" appearing under Column No. 2, the expression "Two percent of the value of the bond" shall be substituted;
- (iii) in Article 3, for the existing expression "Three hundred rupees" appearing under Column No. 2, the expression "One thousand rupees" shall be substituted;
- (iv) in Article 4, for the existing expression "Twenty rupees" appearing under Column No. 2, the expression "Fifty rupees" shall be substituted;
- (v) in clause (g) of Article 5, for the existing expression "One hundred rupees" appearing under Column No. 2, the expression "Five hundred rupees" shall be substituted;
- (vi) for the existing Article 17, the following shall be substituted, namely:-

| | |
|---|---|
| "17. Certificate of Sale (in respect of each property put up as a separate lot and sold) granted to the purchaser of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court, or Collector or other Revenue Officer or any other officer empowered by law to sale property by public auction. | The same duty as on a conveyance (No. 21) for consideration equal to the amount of the purchase-money or market value of the property, whichever is higher."; |
|---|---|

- (vii) in Article 18, for the existing expression "face value" appearing under Column No. 2, the expression "market value" shall be substituted;
- (viii) in Article 21, for the existing entry in column number 2 against clause (iii), the following entry shall be substituted, namely:-

"Subject to a maximum of twenty five crores rupees-

- (i) an amount equal to four percent of the aggregate amount comprising of the market value of share issued or allotted or cancelled in exchange of or otherwise, or on the face value of such shares, whichever is higher and the amount of consideration, if any, paid for such amalgamation, demerger or reconstruction, or
- (ii) an amount equal to four percent of the market value of the immovable property situated in the State of Rajasthan of the transferor company,

whichever is higher.";

- (ix) in clause (ii) of Article 22, for the existing expression "Five rupees" appearing under Column No. 2, the expression "One hundred rupees" shall be substituted;
- (x) in clause (b) of Article 23, for the existing expression "Ten rupees" appearing under Column No. 2, the expression "One hundred rupees" shall be substituted;
- (xi) for the existing Article 24, the following shall be substituted, namely:-

| | |
|---|---------------------------|
| "24. Supplementary instrument to correct clerical errors or to make amendments, not amounting to transfer of interest in any property, in any instrument chargeable with duty and in respect of which proper duty has been paid. | Five hundred rupees."; |
|---|---------------------------|

- (xii) in Article 33-A, for the existing expression "One rupee for every hundred rupees or part thereof on the whole amount payable or deliverable plus the total amount of fine or premium or money advanced or to be advanced irrespective of the period for which

such leave and licence agreement is executed.”, the expression "The same duty as on Lease (No. 33).", shall be substituted;

(xiii) in Article 35, for the existing expression "One hundred rupees" appearing under Column No. 2, the expression "Two hundred rupees" shall be substituted;

(xiv) after the existing Article 35-A and before the existing Article 36, the following shall be inserted, namely:-

"35-B. Limited Liability Partnership (LLP).- (1) Instrument of constitution of limited liability partnership-

(a) where there is no share contribution in partnership or where such share contribution brought in by way of cash does not exceed Rs. 50,000/- Two thousand rupees.

(b) where such share contribution brought in by way of cash is in excess of Rs. 50,000/-, for every Rs. 50,000/- or part thereof Two thousand rupees, subject to maximum duty of rupees ten thousand.

(c) where such share contribution is brought in by way of immovable property The same duty as on conveyance (No. 21) on the market value of such property.

(2) Instrument of conversion of firm/ private limited company/ unlisted public limited company into limited liability partnership-

(a) where on conversion immovable property vests in limited liability partnership Two percent on the market value of immovable property.

(b) in any other case Five thousand rupees.

(3) Reconstruction or amalgamation of limited liability partnership Four percent on the consideration or market value of the immovable property of the

transferor limited liability partnership located within the State of Rajasthan, whichever is higher.

(4) Winding up or dissolution of limited liability partnership,—

(a) where on a dissolution of the partnership any immovable property is taken as his share by a partner other than a partner who brought in that property as his share of contribution in the limited liability partnership;

The same duty as on conveyance (No. 21) on the market value of such property, subject to a minimum of one hundred rupees.

(b) in any other case.

Five hundred rupees.";

(xv) in Article 43,-

(a) in sub-clause (a) of clause (1), for the existing expression "Five hundred rupees" appearing under Column No. 2, the expression "Two thousand rupees" shall be substituted;

(b) in sub-clause (b) of clause (1), for the existing expression "Five hundred rupees, subject to maximum duty of rupees five thousand" appearing under Column No. 2, the expression "Two thousand rupees, subject to maximum duty of rupees ten thousand" shall be substituted;

(xvi) for the existing clause (a) of Article 48, the following shall be substituted, namely:-

"(a) If the release deed of an ancestral property or part thereof is executed by or in favour of brother or sister (children of renouncer's parents) or son or daughter or son of predeceased son or daughter of a predeceased son or father or mother or spouse of the renouncer.

1.5 percent of the amount equal to the market value of the share, interest, part or claim renounced.";

and

(xvii) for the existing Article 58, the following shall be substituted, namely:-

"58. Works contract that is to say a contract for works and labour or services involving transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) in its execution and includes a sub-contract. 0.25 percent of the amount or value set forth in such contract subject to maximum of rupees 15,000/-".

**CHAPTER-VII
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION
ACT, 1951**

24. Amendment of section 4-D, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In table to section 4-D of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951(Act No. 11 of 1951), for the existing entries at S.No. 2, the following shall be substituted, namely:-

| | | | |
|----|--|--|-------|
| 2. | Transport vehicle | | |
| | (a) two wheeled passenger vehicle/three wheeled passenger and goods vehicle | | 2000 |
| | (b) other than three wheeled passenger and goods vehicle | | |
| | (i) Light Motor Vehicle | At the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of fitness certificate under section 56 of the | |
| | (a) if the age of the vehicle is 6 years or less from the date of its first registration | | 5000 |
| | (b) if the age of the vehicle is more than 6 years from the date of its first registration | | 8000 |
| | (ii) other than Light Motor Vehicle | | |
| | (a) if the age of the vehicle is 6 years or less from the date of its first registration | | 6000 |
| | (b) if the age of the vehicle is more than 6 years from the date of its first registration | | 10000 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) | |
|--|--|---|--|

”.

CHAPTER-VIII
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005

25. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 7 of 2005.- In section 6 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 7 of 2005), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

- (i) for the existing clause (c), the following shall be substituted, namely:-
- “(c) restrict its total outstanding debt upto 36.5, 36.5, 35.5, 35.0 and 34.0 per cent of Gross State Domestic Product for the financial year 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20 respectively;”;
- (ii) in clause (e), for the existing punctuation mark “ : ”, appearing at the end, the punctuation mark “ ; ” shall be substituted and after clause (e), so amended, and before the existing first proviso, the following shall be inserted, namely:-
- “(f) ensure that total outstanding Government Guarantee on 31.03.2017 shall not exceed 70 per cent of estimated receipts in the Consolidated Fund of State in financial year 2016-17 and thereafter, total outstanding Government Guarantee at the end of each financial year shall not exceed 60 per cent of estimated receipts in the Consolidated Fund of State in that financial year:”; and
- (iii) in clause (c) of the first proviso, for the existing punctuation mark “:”, appearing at end, the expression “; or” shall be substituted and after said clause (c), so amended, the following shall be added, namely:-
- “(d) due to take-over of loans of the Power Distribution Companies and interest thereon under the Ujwal DISCOM Assurance Yojana promulgated by the Government of India

in the Ministry of Power vide Office Memorandum No. 06/02/2015-NEF/FRP dated 20th November, 2015.”.

26. Amendment of section 6A, Rajasthan Act No. 7 of 2005.- For the existing sub-section (2) of section 6A of the principal Act, the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st day of April, 2015, namely:-

“(2) The own tax receipts of the State in any year in excess of 17.5% over previous year and any other revenue receipts, as the State Government may think fit, shall, if the State Legislature by appropriation made by law in this behalf so provides, be credited to the Fund in the ensuing year.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Clause (7) of section 2 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 defines capital goods. Presently, there are doubts regarding inclusion of generating set in the definition of capital goods. With a view to explain the situation, clause (7) of section 2 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 is proposed to be amended by inserting an explanation.

Sub-section (3) of section 13 of the Act provides time limit for grant of permission in change of principal place of business outside the territorial jurisdiction of the present assessing authority. Presently, this time limit is 60 days, with a view to reduce this time limit, an amendment in sub-section (3) of section 13 has been proposed.

Sub-section (5) of section 24 of the Act provides that assessment should be made within two years from the end of the relevant year. The process of online assessment has been introduced for the assessment year 2013-14 onwards. Because of this change in the assessment procedure, the assessments for the year 2013-14 were started in the month of August, 2015, therefore, the time limit for the assessment year 2013-14 has been proposed to be extended upto 31.07.2016.

Sub-section (3) of section 33 of the Act provides time limit for disposal of application for rectification. With a view for early disposal of such applications, an amendment in sub-section (3) of section 33 is proposed to reduce this time limit from one year to six months.

Section 51A of the Act empowers the State Government to waive penalty and interest in certain cases. Provisions of late fee for delay in filing of return were introduced in the year 2011-12. The dealers were required to file hardcopy of the acknowledgment of the returns submitted by them electronically. In many cases, hardcopy has not been filed or has been filed late which has resulted in the imposition of late fee on such dealers. With a view to provide relief to such dealers of the State, an amendment in section 51 A is proposed so as to empower the State Government to waive late fee in certain cases.

Section 53 of the Act provides provisions of refund in case any amount is refundable to the dealer. Sometimes excess payment or wrong payment is made while making online payment of tax through e-GRAS. Presently, this amount becomes refundable only at the time of assessment, which causes liquidity problems to the dealers. With a view to provide relief in such cases, a new sub-section (3A) in section 53 is proposed to be inserted.

THE RAJASTHAN ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999

In recent past, there is enormous growth in online sale or purchase of goods through e-Commerce companies. With a view to levy and collect entry tax on goods purchased through electronic media, a new sub-section (1A) in section 4 and clause (v) of sub-section (2) of section 11 is proposed to be inserted in the Rajasthan Entry of Goods into Local Areas Act, 1999.

Presently, the appeal under the said Act is filed separately. With a view to facilitate the dealers of the State, a unified form for appeal has been proposed for filing of appeals under various Acts administered by the Commercial Taxes Department. In order to have uniformity in time limit for filing of appeal, an amendment is proposed in sub-section (2) of section 23 of the Act.

THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990

Clause (j) of section 2 of the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 provides definition of Luxury Tax Officer. Presently, Assistant Commercial Taxes Officers are not authorised to exercise the powers of Luxury Tax Officers. Assistant Commercial Taxes Officers are assessing authorities under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003. In order to empower the Assistant Commercial Taxes Officer at par with the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, an amendment by substitution of clause (j) in section 2 is proposed in the Act.

Section 12 of the said Act provides for the registration of the hotelier. To have uniformity with the provisions of registration under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, a new sub-section (5A) is proposed to be inserted in section 12.

Similarly, to have the uniformity in the procedure of inspection under the Act and the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, amendment in section 26 of the Act is proposed.

THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

Sub-section (2) of section 3B of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 provides manner for levy, payment, interest, computation and recovery of the water conservation cess but it does not provide for exemption. In order to provide

for exemption from payment of water conservation cess, the sub-section is proposed to be amended by substituting it.

Sub-section (2) of section 3C of the said Act, provides manner for levy, payment, interest, computation and recovery of the urban cess but it does not provide for exemption. In order to provide for exemption from payment of urban cess, the sub-section is proposed to be amended by substituting it.

THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

Sub-section (1) of section 3-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended in consequence of amendment in the Schedule of the Act.

With a view to make provision for conservation and propagation of cow and its progeny in the State, a surcharge on stamp duty is proposed to be levied by adding a new section 3-B in the Act. The proposed surcharge shall not exceed ten percent of the stamp duty chargeable under section 3 read with the Schedule to the Act.

At present, adjudication fee under section 35 is rupees fifty to two hundred as the Collector may in each case decide. Section 35 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to fix the adjudication fees of rupees five hundred in each case.

Section 52 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to increase the time limit prescribed for rectification of the order of the Collector from ninety days to two years.

A new section 52-B is proposed to be inserted to empower the Inspector General of Stamp to re-determine the stamp duty by re-examining such orders of Collector, which are erroneous or prejudicial to the interest of State revenue. Inspector General of Stamp shall not re-examine the orders of Collector which are more than five years old. Due to insertion of section 52-B, consequential amendment in section 65 is also proposed.

Section 65 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to increase the time limit for filing revision against an order referred to in sub-section (1) of that section on behalf of the State Government from ninety days from date of order to one hundred eighty days from date of communication of the order.

Article 1 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to increase the stamp duty on the instrument of Acknowledgement of a debt from two rupees to ten rupees.

Article 2 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to revise the stamp duty on the Administration bond from ten rupees for every hundred rupees, or part thereof of the value of the bond subject to a maximum of one hundred rupees to two percent of the value of bond.

Article 3 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to revise the stamp duty on the Adoption Deed from three hundred rupees to one thousand rupees.

Article 4 of the Schedule to Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to increase the stamp duty on the Affidavit from twenty rupees to fifty rupees.

Clause (g) of Article 5 of the Schedule to Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to increase the stamp duty on an Agreement or memorandum of an agreement not coming under any specific category from one hundred rupees to five hundred rupees.

At present certificates of sale granted in respect of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court, Collector or other Revenue Officer are chargeable under Article 17 of the Schedule to Rajasthan Stamp Act, 1998 with stamp duty on the amount of purchase money. Various other authorities are also empowered to sale the property by public auction under various State or Central Acts. Therefore, to bring every certificate of sale within the ambit of stamp duty and also to charge the stamp duty on the amount of purchase money or market value of the property, whichever is higher, the Article 17 is proposed to be suitably amended.

Article 18 of the Schedule to Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to charge the stamp duty on the market value of the shares, scrip or stock instead of the face value of such shares, scrip or stock.

The rates of stamp duty on the orders of amalgamation, demerger or reconstruction under Article 21 need to be streamlined in line with the stamp duty being charged in other States. Therefore, to rationalize the rates and to change the method of calculation of stamp duty on the orders of amalgamation or demerger or reconstruction, clause (iii) of Article 21 of the Schedule to Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended.

Article 22 of the Schedule to Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to increase the stamp duty from five rupees to one hundred rupees on the copy or extract where original is chargeable with duty of more than one rupee.

Article 23 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to increase the stamp duty from ten rupees to one hundred rupees on

the counterpart or duplicate of instruments where original instrument is chargeable with duty of more than three rupees.

The present provision of Article 24 of the Schedule to Rajasthan Stamp Act, 1998 provides for stamp duty on Supplementary instruments executed to correct clerical errors in any instrument chargeable with duty. Article 24 of the Schedule to the Act is proposed to be amended to also include the supplementary instruments executed to make amendments, not amounting to transfer of interest in any property, and to increase the stamp duty from one hundred rupees to five hundred rupees.

Instruments of leave and licence Agreement are generally being executed as an alternative of lease deeds. Therefore, Article 33-A of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to provide for stamp duty on the instruments of leave and licence at par with lease deeds.

Article 35 of the Schedule to Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to increase the stamp duty on the Letter of licence from one hundred rupees to two hundred rupees.

A new Article 35-B is proposed to be inserted in the Schedule to Rajasthan Stamp Act, 1998 to provide for stamp duty on instruments relating to constitution, reconstruction or amalgamation, winding up or dissolution of Limited Liability Partnership and conversion of partnership firms or companies into Limited Liability Partnership.

Article 43 of the Schedule to Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to rationalize the rate of stamp duty on instruments of partnership.

Clause (a) of Article 48 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be substituted to rationalize the stamp duty in parity with documents of family settlement and partition of ancestral property as well as to redefine family members so as to clearly specify the relatives.

Presently, works contracts are charged under Article 58 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 with fixed amount of stamp duty according to their classification of value of up to rupees ten lacs, ten to fifty lacs and above fifty lacs. Article 58 of the Schedule to the Act is proposed to be amended to provide ad valorem stamp duty at the rate of 0.25 percent subject to maximum of rupees 15000/- on the amount or value set forth in such contract.

THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

The provision of imposing green tax (cess) under section 4-D of Rajasthan Motor Vehicle Taxation Act, 1951 empowers to levy this tax on non- transport and

transport vehicles. In the cases of non-transport vehicles, it is charged at the time of registration of vehicle, assignment of new registration mark and renewal of registration certificate. Green tax is levied on the transport vehicles at the time of registration, assignment of new registration mark and renewal of fitness certificate. The section also stipulates fuel based and engine capacity based categories of vehicles wherein distinction of rates has been provided. The imposition of green tax helps in bringing down the emission levels by way of de-incentivizing the pollution prone vehicles on one hand, and augment resources for development and maintenance of transport infrastructure on the other hand. It has been observed that transport vehicles are more prone to damage environment and the possibility of emitting pollutants increases with the time and its use. Thereby it is considered proper to levy higher green tax on older vehicles. So keeping this in view, it is proposed to further categorize transport vehicles on the basis of its age since the date of its registration for the purpose of imposition of green tax. Accordingly, section 4-D is proposed to be amended.

RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005

Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 was enacted for the purpose of making State Government manage State finances in a fiscally responsible manner by undertaking fiscal consolidation with time bound targets. After 2014-15, limit of the outstanding debt is not prescribed in the Act. Therefore, clause (c) of section 6 of the Act is proposed to be amended. Similarly at present statutory limit of the outstanding Government Guarantee is not prescribed. To prescribe limit of the outstanding Government Guarantee, a new clause (f) under section 6 of the Act is proposed to be inserted.

Due to taking over of loans of DISCOMs under the Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) promulgated by the Government of India in the Ministry of Power vide Office Memorandum No. 06/02/2015-NEF/FRP dated 20th November, 2015, the State Government is unable to meet out the Revenue Deficit and Fiscal Deficit target as per section 6 of the Act. Therefore, a new clause (d) in the first proviso to section 6 of the Act is proposed to be added.

With a view to set aside a part of State revenues in the years of “above normal revenue growth” and using such accumulations in the year of equalization fund in the name of “Rajasthan Development and Poverty Alleviation Fund” was created by an amendment in the Act in the year 2014. The fund comprises the tax receipts of the State, comprising of its own taxes and share in Central taxes, in any year in excess of 17.5% over previous year and any other revenue receipts. The

14th Finance Commission increased the State's share in Central taxes from 32% to 42%. Therefore, clause (2) of section 6A of the Act is proposed to be amended to provide the own tax receipts of the State in any year in excess of 17.5% over previous year to be credited to the fund in the ensuing year. The amendment is proposed to be given retrospective effect from 1.4.2015 because the 14th Finance Commission recommendations are effective from 1.4.2015.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अन्तर्गत माननीय
राज्यपाल महोदय की सिफारिश**

[सं.प.12(11)वित्त/कर/2016 दिनांक 08.03.2016

**प्रेषक: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान
सभा, जयपुर]**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2016 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 26 of the Bill which seeks to substitute sub-section (2) of section 6A in the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, if enacted, shall authorise the State Government to credit such own tax receipts of the State in any year as are in excess of 17.5% over previous year and any other revenue receipts after due appropriation by the State Legislature in Rajasthan Development and Poverty Alleviation Fund.

**वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.**

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 4 of the Bill, which seeks to substitute sub-section (3) of Section 13 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, shall, if enacted, empower the State Government to prescribe the manner for permission to be issued under the section.

Clause 8 of the Bill, which seeks to amend section 53 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, shall, if enacted, empower the State Government to prescribe the manner for grant of refund in case of wrong or excess deposit of amount.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

**1. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX
ACT, 2003
(Act No. 4 of 2003)**

XX XX XX XX

2. Definitions.— In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(1) to (6) XX XX XX

(7) "capital goods" means plant and machinery including parts and accessories thereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Government from time to time in the Official Gazette;

(8) to (45) XX XX XX

XX XX XX XX

13. Authority competent to grant registration.— (1) to (2) XX XX

(3) Where a dealer, after having been granted registration, changes his principal place of business outside the territorial jurisdiction of the present assessing authority he shall seek the permission in writing for such change of the assessing authority from the Commissioner or any other officer authorized by the Commissioner in this behalf, and unless such permission is accorded, the present assessing authority shall continue to be the assessing authority of such dealer. Where a decision on the grant of permission is not accorded within a period of sixty days from the date of the application seeking change of assessing authority, such permission shall be deemed to have been granted.

XX XX XX XX

24. Assessment.— (1) to (4) XX XX XX

(5) No assessment order under this section shall be passed after the expiry of two years from the end of the relevant year. However, the Commissioner may for reasons to be recorded in writing, extend such time limit in any particular case by a period not exceeding six months:

Provided that the assessment for the year 2012-13 shall be made up to 30.06.2015.

(6) XX XX XX

XX XX XX XX

33. Rectification of a mistake.(1) to (2) XX XX XX

(3) Where an application under sub-section (1) is presented to the assessing authority and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.

(4) to (5) XX XX XX
XX XX XX XX

51A. Power of State Government to waive penalty and interest in certain cases.- Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government in the public interest, by notification in Official Gazette, may reduce or waive any amount of interest or penalty payable for any period by any class of dealers, subject to such terms and conditions as may be specified in the notification.

XX XX XX XX

2. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999 (Act No. 13 of 1999)

XX XX XX XX

11. Registration of dealers.— (1) XX XX XX

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section(1).—

- (i) every dealer undertaking execution of works contract involving the use or consumption of goods entering into a local area; or
- (ii) every dealer not ordinarily resident of a local area; or
- (iii) every manager or agent of a dealer not ordinarily resident of a local area; other than a dealer dealing exclusively in the goods as may be specified; or
- (iv) every lessor or lessee, who brings or causes to be brought goods into a local area;

shall get himself registered irrespective of the value of his annual turn over of goods brought into a local area.

XX XX XX XX

23. Appeals.- (1) XX XX XX

(2) The appeal shall be preferred within thirty days,-

- (i) in respect of an order of assessment, from the date on which notice of assessment was served on the appellant, and
- (ii) in respect of any other order, from the date on which the order was communicated to the appellant.

Provided that the appellate authority may admit an appeal preferred after the period of thirty days aforesaid if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(3) to (5) XX XX XX XX
 XX XX XX XX

**3. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES
 (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990
 (Act No. 9 of 1996)**

XX XX XX XX

2. Definitions.- (1) In this Act, unless the context requires otherwise,-

(a) to (i) XX XX XX

(j) "Luxury Tax Officer" means the Assistant Commissioner or the Commercial Taxes Officer, including the Assistant Commissioner or the Commercial Taxes Officer, (Anti-evasion) appointed or posted by the State Government in the Commercial Taxes Department;

(k) to (v) XX XX XX

(2) XX XX XX

XX XX XX XX

26. Production and inspection of accounts and documents and search of premises.- (1) The Luxury Tax Officer may require any hotelier to produce before him any accounts or documents, or to furnish any information, relating to his business, or any other information as may be necessary for the purposes of this Act.

(2) All accounts, registers and documents relating to the business of any hotelier and cash kept in any place of business of any hotelier shall at all reasonable times be open to inspection by the Luxury Tax Officer, and the Luxury Tax Officer or any person authorized by him may take or cause to be taken such copies or extracts of the said accounts, registers or documents and such inventory of cash found as appear to him necessary for the purposes of this Act.

(3) to (5) XX XX XX
XX XX XX XX

4. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962 (Act No. 12 of 1962)

XX XX XX XX

3B. Levy of water conservation cess.- (1) XX XX XX

(2) The provisions of this Act or the rules made thereunder shall, so far as may be, apply in relation to levy, payment, interest, computation and recovery of the cess payable under sub-section (1) as they apply to levy, payment, interest, computation and recovery of electricity duty payable under this Act.

(3) XX XX XX
XX XX XX XX

3C. Levy of urban cess.- (1) XX XX XX

(2) The provisions of this Act or the rules made thereunder shall, so far as may be, apply in relation to levy, payment, interest, computation and recovery of the cess payable under sub-section (1) as they apply to levy, payment, interest, computation and recovery of electricity duty payable under this Act.

(3) XX XX XX
XX XX XX XX

5. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998 (Act No. 14 of 1999)

XX XX XX XX

3-A. Certain instruments chargeable with surcharge.- (1) All instruments of conveyance, exchange, gift, settlement, partition, agreement to sale, composition, mortgage, release, power of attorney and lease of immovable property, and agreement or memorandum of an agreement relating to giving authority or power to a promoter or a developer, by whatever name called, for construction on, or development of, any immovable property, chargeable with duty under section 3 read with Schedule to the Act, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 10 percent of the duty chargeable on such instruments under section 3 read with Schedule to the Act, as may be notified by the State Government, for the purpose of the development of basic infrastructure facilities

such as rail or road transportation system, communication system, power distribution system, sewerage system, drainage system or any other such public utilities serving any area of the State and for financing Municipalities and Panchayati Raj Institutions.

(2) and (3) XX XX XX
XX XX XX XX

35. Adjudication as to proper stamp.- (1) When any instrument, whether executed or not and whether previously stamped or not, is brought to the Collector, and the person bringing it applies to have the opinion of that officer as to the duty, if any, with which it is chargeable, and pays a fee of such amount (not exceeding two hundred rupees and not less than fifty rupees) as the Collector may in each case direct, the Collector shall determine the duty, if any, with which in his judgment, the instrument is chargeable.

(2) to (3) XX XX XX

52. Rectification of mistakes.- With a view to rectifying any mistake apparent from the record, the Collector may amend any order made by him under this Act, within ninety days of the date of order either on his own motion or on the mistake being brought to his notice by person affected by the order:

Provided that if any such amendment is likely to affect any person prejudicially, it shall not be made without giving to such person reasonable opportunity of being heard.

XX XX XX XX

65. Revision by the Chief Controlling Revenue Authority.- (1) Any person aggrieved by an order made by the Collector under Chapter IV and V and under clause (a) of the first proviso to section 29 and under section 35 of the Act, may within 90 days from the date of order, apply to the Chief Controlling Revenue Authority for revision of such order :

Provided that no revision application shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of the payment of twenty five percent of the recoverable amount.

(2) The Chief Controlling Revenue Authority may *suo moto* or on information received from the registering officer or otherwise call for and examine the record of any case decided in proceeding held by the Collector for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the

regularity of the proceedings and pass such order with respect thereto as it may think fit:

Provided that no such order shall be made except after giving the person affected a reasonable opportunity of being heard in the matter.

THE SCHEDULE

(See Section 3)

| Description of instrument 1 | Proper Stamp Duty 2 |
|--|---|
| <p>1. Acknowledgement of a debt exceeding twenty rupees in amount or value, written or signed by or on behalf of a debtor in order to supply evidence of such debt in any book (other than a banker's pass-book) or on a separate piece of paper when such book or paper is left in the creditor's possession; Provided that such acknowledgment does not contain any promise to pay the debt or any stipulation to pay interest or to deliver any goods or other property.</p> | Two rupees. |
| <p>2. Administration bond including a bond given under sections 291,375 and 376 of the Indian Succession Act, 1925 (Act No. 39 of 1925), or under section 6 of the Government Savings Bank Act, 1873 (Act No.5 of 1873).</p> | Ten rupees for every hundred rupees, or part thereof of the value of the bond subject to a maximum of one hundred rupees. |
| <p>3. Adoption Deed, that is to say, any instrument (other than a will), recording an adoption or conferring or purporting to confer any authority to adopt.</p> | Three hundred rupees. |
| <p>4. Affidavit including an affirmation or declaration in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing. Exemptions: Affidavit or declaration in writing when made: <ul style="list-style-type: none"> (a) as a condition of enrolment in the Indian Army or the Indian Air Force; (b) for the immediate purpose of being filled or used in any court; or before the officer or any court; or </p> | Twenty rupees |

| | | | |
|---|-----------|-----------|---|
| | | | value of the immovable property of the transferor company situated in the State of Rajasthan bears to the value of the whole of immovable property of the transferor company; in addition to the stamp duty paid on the instrument elsewhere, if any. |
| 21. (iv) | XX | XX | XX |
| 22. Copy or extract certified to be a true copy or extract, by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees,- | | | |
| (i) | XX | XX | XX |
| (ii) in any other one case. | | | Five rupees. |
| Exemption: | | | |
| (a) Copy of any paper which a public officer is expressly required by law to make or furnish for record in any public office for any public purpose; | | | |
| (b) Copy of, or extract from, any register relating to births, baptisms, namings, dedications, marriages, divorces, deaths or burials. | | | |
| 23. Counterpart or duplicate of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid,- | | | |
| (a) | XX | XX | XX |
| (b) in any other case. | | | Ten rupees. |

| | | |
|--|----|---|
| Exemption: Counterpart of any lease granted to a cultivator when such lease is exempted from duty. | | |
| 24. Supplementary instrument to correct clerical errors in any instrument chargeable with duty and in respect of which proper duty has been paid. | | One hundred rupees. |
| 25. to 33. | XX | XX |
| 33-A. Leave and Licence Agreement relating to immovable property other than the residential property. | | One rupee for every hundred rupees or part thereof on the whole amount payable or deliverable plus the total amount of fine or premium or money advanced or to be advanced irrespective of the period for which such leave and licence agreement is executed. |
| 34. | XX | XX |
| 35. Letter of Licence, that is to say, an agreement between a debtor and his creditors that the latter shall, for a specified time, suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion. | | One hundred rupees. |
| 36. to 42. | XX | XX |
| 43. Partnership- | | |
| (1) Instrument of partnership,- | | |
| (a) where there is no share contribution in partnership or where such share contribution brought in by way of cash does not exceed Rs. 50,000/-; | | Five hundred rupees. |

| | | | |
|---|----|----|---|
| (b) where such share contribution brought in by way of cash is in excess of Rs. 50,000/-, for every Rs.50,000/- or part thereof; | | | Five hundred rupees, subject to maximum duty of rupees five thousand. |
| (c) | XX | XX | XX |
| (2) | XX | XX | XX |
| 44. to 47. | XX | XX | XX |
| 48. Release , that is to say any instrument, not being such a release as is provided for by section 26(2), whereby a co-owner, co-sharer or co-parcener renounces his interest, share, part or claim in favour of another co-owner, co-sharer or co-parcener,- | | | |
| (a) where the release deed is executed by or in favour of a family member. Explanation: “family member” means husband, wife, son, daughter, father, mother, brother, sister, wife or children of predeceased brother, husband or children of predeceased sister, wife of a predeceased son and children of a predeceased son or predeceased daughter. | | | Five hundred rupees. |
| (b) | XX | XX | XX |
| 49. to 57. | XX | XX | XX |
| 58. Works contract that is to say a contract for works and labour or services involving transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) in its execution and includes a sub-contract,- | | | |
| (a) where the amount or value set forth in such contract does not exceed Rs.10 lacs. | | | Five hundred rupees. |
| (b) where it exceeds Rs.10 lacs but does not exceed Rs. 50 lacs. | | | One thousand rupees. |
| (c) where it exceeds Rs.50 lacs. | | | Five thousand rupees. |

XX

XX

XX

XX

6. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

(Act No. 11 of 1951)

XX

XX

XX

XX

4-D. Levy of Green Tax.- (1) There shall be levied and collected a cess called “green tax”, in addition to the tax levied under sections 4, 4-B and 4-C of the Act, on such vehicles suitable for use on road as specified in column (2), at such time as specified in column (3), of the table below at such rates, not exceeding the maximum rates specified in column (4) of the table, as may be fixed by the State Government by notification in the Official Gazette, for the purpose of implementation of various measures to control air pollution.

TABLE

| S. No. | Class of the Vehicle | Time | Maximum rate of cess (in Rupees) |
|---------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Non-transport vehicle | | |
| | (a) two wheelers | At the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of certificate of registration under sub-section (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988). | 1000 |
| | (b) four wheeled diesel driven vehicles | | |
| | I. Light Motor Vehicle with engine capacity up to 1500 cc | | 5000 |
| | II. Light Motor Vehicle with engine capacity above 1500 cc and up to 2000 cc | | 10000 |
| | III. Light Motor Vehicle with engine capacity above 2000 cc with seating capacity up to 5 | | 10000 |
| | IV. Light Motor Vehicle with engine capacity above 2000 cc with seating capacity more than 5 | | 25000 |
| | (c) four wheeled petrol/ LPG driven vehicles | | |
| | I. Light Motor Vehicle with engine capacity up to 1500 cc | | 2000 |
| | II. Light Motor Vehicle with engine capacity above 1500 cc and upto 2000 cc | | 2500 |
| | III. Light Motor Vehicle with engine | | 3000 |

| | | | |
|----|--|--|------|
| | capacity above 2000 CC with seating capacity up to 5 | | |
| | IV. Light Motor Vehicle with engine capacity above 2000 CC with seating capacity more than 5 | | 5000 |
| | (d) other than above fuel driven four wheeled vehicles. | | 1000 |
| | (e) other Non-transport vehicles. | | 2000 |
| 2. | Transport vehicle | At the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of fitness certificate under section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) | 2000 |

XX

XX

XX

XX

7. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005

(Act No. 7 of 2005)

XX

XX

XX

XX

6. Fiscal Management Targets.- In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall-

(a) to (b)

XX

XX

XX

(c) restrict its total outstanding debt upto 39.3, 38.3, 37.3 and 36.5 per cent of Gross State Domestic Product for the financial year 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 respectively;

(d)

XX

XX

XX

- (e) ensure to bring out special statement along with the budget giving in detail number of employees in Government, Public Sector and Aided institution and related salary:

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this section-

- (a) due to ground or grounds of unforeseen demands on the finances of the State Government arising out of national security or natural calamity including drought relief or such other exceptional circumstances beyond the control of the State Government ; or
- (b) due to developmental and other unavoidable expenditure; or
- (c) up to the limits indicated by the Central Government from time to time:

Provided further that the excess beyond limits arising due to the grounds mentioned in the first proviso shall be explained with a detailed statement on the said grounds, as soon as possible, before the House of the State Legislature.

6A. Rajasthan Development and Poverty Alleviation Fund.-(1) XX

(2) Tax receipts of the State, comprising of its own taxes and share in central taxes, in any year in excess of 17.5% over previous year and any other revenue receipts, as the State Government may think fit, shall, if the State Legislature by appropriation made by law in this behalf so provides, be credited to the Fund in the ensuing year.

| | | | |
|------------|----|----|----|
| (3) to (4) | XX | XX | XX |
| XX | XX | XX | XX |